



भारत सरकार
Government of India
खान मंत्रालय
Ministry of Mines
भारतीय खान ब्यूरो
Indian Bureau of Mines
Mine Code: 34RAJ06001

माखुपुरा औद्योगिक क्षेत्र,
Makhupura, Industrial Area
अजमेर – 305 002 (राजस्थान)
Ajmer- 305 002 (Rajasthan)

संख्या E/4235/MCDR-MiFLOPBZn/4/2023-AJM-IBM_RO_AJM

दिनांक : 25.07.2023

प्रेषित माइन एजेंट, रामपुरा आगुचा लेड जिंक माइन,
मैसर्स हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, गाँव-रामपुरा, तहसील-हुरडा,
ज़िला-भीलवाड़ा(राजस्थान) 311029

Email: kishore.s@vedanta.co.in,sanjay.sharma@vedanta.co.in

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your
Rampura Agucha Lead Zinc Mine (Lease area 1200.00Hect.) situated in Bhilwara District of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection made on 30.06.2023 & 01.07.2023 by the undersigned in presence of Shri Sachin M Deshmukh, Mine Manage & Shri Ranjan Gupta, Geologist:

Rule No.	Nature of violation observed in detail								
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of Mining Plan (Approved on 30.03.2022): - 1) <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th>Year</th><th>Proposed Development(m)</th><th>Actual Development(m)</th></tr></thead><tbody><tr><td>2022-23</td><td>50180.5</td><td>34733</td></tr></tbody></table> It shows that shortfall in undergraound mine development.			Year	Proposed Development(m)	Actual Development(m)	2022-23	50180.5	34733
Year	Proposed Development(m)	Actual Development(m)							
2022-23	50180.5	34733							

02 इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

- (क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।
- (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
- (ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03 अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पेंतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय,

(डॉ.आर. गुर्जर)
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि, सूचनार्थ प्रेषित :-

1. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल द्वारा)।
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, भीलवाड़ा (राजस्थान)।
4. रक्षित पत्रावली।